# *-:श्रीनगर पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-*

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी/वांछित अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक **03.10**.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 हेमराज सिंह व कां0 राजीव कुमार को मुखबिर की सूचना पर 01 नफर वारण्टी अभियुक्त कालका प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर उम्र 56 वर्ष को ग्राम सिजरिया थाना श्रीनगर से अभियुक्त के घर के बाहर से पुलिस हिरासत में लिया गया जो अ0सं0 37/16 धारा ¾ **G Act.** मां0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम बनाम कालका प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

## *गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*

1. उ0नि0 हेमराज सिंह, थाना श्रीनगर जनपद महोबा।
2. कां0 राजीव कुमार, थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

## *गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण:-*

कालका प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम सिजरिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

## महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरुक

आज दिनाँक 03.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/धार्मिक जगहो की चेकिंग एवं **कोविड-19** के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त करके मुख्य बाजार, बस-स्टैण्ड, धार्मिक स्थलो सहित होटल/ढाबो/ दुकानो की चेकिंग की गई । पैदल गस्त के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण के बारे में जागरुक भी किया गया । लोगो से **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने की अपील की गई ।

# कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 11200/-रू0 का जुर्माना एवं यातायात नियमो के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 03.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में चेकिंग की गई । जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन** पर समस्त थानो द्वारा **कोविड-19 के तहत 93 व्यक्तियों से 10800/-रू0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर **56 ई-चालान व 02 वाहनो से 400/-रु0 शमन-शुल्क वसूला** गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगो को **नोवल कोरोना वायरस** के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए घरो में सुरक्षित रहने तथा **मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी)** बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।